Print Date:-25/Aug/2026 10:32 AM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Manoj Chandra Misra
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 25-08-2026 10:33:08

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26080130021

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 25-AUG-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	100505700	4342000	0	104847700
	योग	100505700	4342000	0	104847700

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 43,42,000 (Rupees Forty Three Lacs Forty Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2608:0007

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– /IV(2)/2026–13(सा0)26 (106409)

प्रेषक,

संतोष बडानी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक– अगस्त, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–2027 में नगरपालिका परिषद, भीमताल के क्षेत्रान्तर्गत 'ढुंगसील मोटर मार्ग में 25 एम0एम0 एस0डी0बी0सी0 द्वारा डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य' की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक– 69199/2026, दिनांक 23.07.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरपालिका परिषद, भीमताल के क्षेत्रान्तर्गत **'ढुंगसील मोटर मार्ग में 25 एम0एम0एस0डी0बी0सी0 द्वारा डामरीकरण एवं सुधारीकरण कार्य'** हेतु गठित आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरांत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **रू0 72.36 लाख** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में 60 प्रतिशत धनराशि **कुल रू0 43.42 लाख (रूपये तेतालीस लाख बयालीस हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि **कुल रू0 43.42 लाख (रूपये तेतालीस लाख बयालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर नगरपालिका परिषद, भीमताल को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रकिया अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(3) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित नगर निकाय के सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

(4) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(5) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा0सं0 149101/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरांत सफल निविदादाता से किए गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking oF Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बनिधत अधिशासी अधिकारी का होगा।

(8) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(11) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(12) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(13) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचिलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(15) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा। साथ ही बजट मैनुअल के प्रस्तर–182(छः)(2)(जिसमें आवंटित बजट का 80 प्रतिशत चालू योजनाओं/कार्यों हेतु तथा 20 प्रतिशत नयी योजनाओं/कार्यों हेतु) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजना हेतु प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता होने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित नगर निकाय/शहरी विकास निदेशालय का होगा।

(17) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि सम्बन्धित नगर निकाय योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(18) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(19) प्रश्नगत प्रस्ताव/आगणन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा प्रदत्त Observation का निराकरण /विभागीय समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शहरी विकास निदेशालय/सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता का होगा।

(20) नॉन शैड्यूल मदों की दरों/स्वीकृति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता का होगा।

(21) आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तवित एवं नियमानुसार/नवीन जी0एस0टी0 प्राविधानों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

(22) कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

(23) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित नगर निकाय को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(24) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(25) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(26) उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं/कार्यों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना में नहीं किया जा सकता।

(27) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period रखा जायेगा।

(28) **निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।**

(29) धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–384289 /E-94611/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 01.04.2026 एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(30) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2027 तक कर लिया जायेगा। **कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, एल–1 विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।** तत्सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा और तदोपरान्त शहरी विकास निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(31) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–149101/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25.08.2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायें। यह भी देख लिया जाये कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात दोहराव की स्थित न हो, यह सुनिश्ति कर लिया जाये।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड के अशासकीय संख्याः 425576/2026, दिनांक 21 अगस्त, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नकः एलॉटमेंट आई0डी0

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 24-08-2026
15:40:16

(संतोष बडोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

3– आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।

4– जिलाधिकारी, नैनीताल।

5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।

6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

7– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, भीमताल।

8– अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली, नैनीताल।

9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 24-08-2026
16:59:29

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।